

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/1021-25 दिनांक:- 3.7.25

### कार्यालय आदेश

श्रीमती भावना कुमारी जारवाल, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 743408) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा के पत्र दिनांक 10.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम पार्ट-I के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 16.04.2025 से 30.04.2025 तक कुल 15 दिवस

उक्त 15 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती जारवाल, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन,  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/1021-25 दिनांक:- 3.7.25  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्रीमती भावना कुमारी, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)